भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3446
दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं में कुपोषण

3446. **श्री नलिन सोरेन:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड में महिलाओं में बढ़ते कुपोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किसी प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपी है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) नामक अम्ब्रेला मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयनित व्यापक योजना है, जहां किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण कराने और सेवाएं प्राप्त करने में प्रवेश संबंधी कोई बाधा नहीं है। इस मिशन को झारखंड के सभी जिलों सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करना;
- कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता तथा अच्छी खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना

पोषण केवल भोजन करने तक सीमित नहीं है, इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय (मेटाबोलिज्म) की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वच्छ पेयजल जैसे कारकों से प्रभावित होती है। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता, शिक्षा इत्यादि को शामिल करते हुए- बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों बीच परस्पर तालमेल (क्रॉस कटिंग) स्थापित करके कुपोषण की चुनौती का समाधान किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) / मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किए जाते है।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन तथा टेक होम राशन तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम और उपचार तथा इससे जुड़ी रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) प्रोटोकॉल जारी किया है। इस समुदाय-आधारित दृष्टिकोण में समुदाय में गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का समय पर पता लगाना और उनकी जाँच करना, बिना किसी चिकित्सीय जटिलता वाले

बच्चों का घर पर ही पौष्टिक स्थानीय खाद्य पदार्थों से प्रबंधन और सहायक चिकित्सा देखभाल शामिल है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के सहयोग से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले सहित देश भर के पांच मिशन उत्कर्ष जिलों में एनीमिया की रोकथाम और प्रबंधन तथा किशोरियों (14-18 वर्ष) में पोषण की स्थिति में सुधार के लिए साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद पहलों के उपयोग के लिए एक प्रायोगिक परियोजना का संचालन कर रहा है।

अब तक, बेहतर पोषण प्रदायगी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लिए 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनवाडी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया है, जिसमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन लगाना और स्मार्ट लर्निंग साधन शामिल हैं। झारखंड राज्य में कुल 16,775 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पीएम जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। इस मिशन में महिला और बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण कार्यकलापों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब तक, देश भर में पीएम जनमन योजना के तहत निर्माण के लिए झारखंड के 495 आंगनवाड़ी केंद्र सहित कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों का अनुमोदन किया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान (डीएजेजीयूए) शुरू किया है जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉक जनजातीय गांवों में जनजातीय परिवारों की अधिकतम लाभार्थी कवरेज के माध्यम से जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यकलाप में वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 2000 नए सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना और 6000 मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करना शामिल है। झारखंड राज्य में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 50 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है।

*****